न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
114/2023	20.04.2023	18/9/25

रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी खेडली तह0 वजीरपुर

––प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील वजीरपुर ––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1255 रकबा 0.30 है0, ख0न0 1256 रकबा 0.38 है0 ग्राम खेडली तहसील वजीरपुर मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी कब्जा काश्त है। उक्त भूमि ख0न0 1255, 1256 ग्राम खेडली के साबिक ख0न0 356 मिन, 361 मिन रहे है। भूमि ख0न0 361 वाके ग्राम खेडली संवत 2019–22, संवत 2021–24 मे रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल मीना साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने संवत 2025–28 मे उकत भूमि रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र हजारीलाल के नाम दर्ज कर दी है। इस प्रकार की गलती करने का राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार नही था। प्रार्थी को दिनांक 31.3.2023 को नकल प्राप्त करने पर इसकी जानकारी हुई थी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल जमाबंदी ख0न0 1255 रकबा 0.30 है0, ख0न0 1256 रकबा 0.38 है0 ग्राम खेडली मे रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल, मीना दुरूस्त किय जाने के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 51, 297 ग्राम खेडली, नकल जमाबंदी साबिक, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी तहसीलदार वजीरपुर की ओर से उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2071 दिनांक 04.06.2025 के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वयं के पिता का नाम रामस्वरूप पुत्र हजारीलाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल दर्ज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट मे तहसीलदार द्वारा प्रार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र हजारीलाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल दुरूस्त करने की अनुशंषा की है तथा जमाबंदी संवत 2019–22 के खाता संख्या 115 मे रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेख व तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं भूमि ख0न0 1255 रकबा 0.30 है0, ख0न0 1256 रकबा 0.38 है0 ग्राम खेडली की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 में दर्ज नाम रामस्वरूप पुत्र हजारीलाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल दर्ज करने का एवं इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करने का आदेश दिया जाता है। इस खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेंगी।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sumit

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested